Solution and Marking Scheme

विषय लोक प्रशासन

प्र01

i)	माटग्यू चेम्सफोर्ड	1
ii)	26 जनवरी 1950	1
iii)	प्रशासन का	1
iv)	1979	1
v)	राष्ट्रपति	1
vi)	पांच वर्ष	1
vii)	लार्ड रिपन	1
viii)	बडा विस्तृत	1
ix)	कार्य पालिका	1
x)	कार्यपालिका	1
xi)	रेल मंत्री	1
xii)	बडा महत्व है	1
xiii)	1989	1
xiv)	विधि न्यायालय	1
xv)	स्वीडन	1
xvi)	निदेशक	1

प्र02 मुगलकालीन प्रान्तीय प्रशासन :- मुगलकाल की अधिक विस्तृत रूप सम्राट अकबर द्वारा किया गया था

i) सूबेदार :- प्रान्तीय प्रशासन का प्रधान सूबेदार होता था जिसे सिपसलाहकार या नाजिम कहा जाता है उसकी नियुक्ति व पदनियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी 0.5

ii) दीवान :- दीवान प्रान्तीय स्तर पर सूबेदार की सहायता करता था वह दीवानी मामले के फैसले किसानों को तकाबी बाटने का कार्य करता है। 0.5

iii) बक्शी :- सम्राट केन्द्रीय वक्शी की सलाह पर प्रातीय बक्शी की नियुक्ति करता था वह सैनिको की देखभाल करता था। 0.5

iv) आमिल :- प्रातीय स्तर पर मालगुजारी वसूल करने का कार्य करता था। 0.5

प्र03 1919 में एक महत्वपूर्ण एक्ट पास किया गया जिसके माध्यम से असैनिक सेवाओं के विकास में मिली 1919 के एक्ट को माटेग्यू चैम्सफोर्ड के एक्ट के नाम से जाना जाता है इसकी विशेषताएं निम्न थी

i) प्रस्तावना:- इसमे पहली बार प्रस्तावना की व्याव्स्था की गई वास्तव में यह प्रस्तावना 1917 की घोषणा पर आधारित थी 0.5

ii) गृह सरकार मे परिवर्तन:- 1919 के एक्ट द्वारा गृह सरकार में भी परिवर्तन किए गये भारत सचिव के वेतन व भत्ते विशि राजस्व से दिए जाने निश्चित हुए 0.5

iii) भारत का हाईकमीशन बनाया गया 0.5

iv) केन्द्र में अनुतरदायी शासन

v) केन्द्रीय व्यवस्थापिका की शक्तियों में वृद्वि की गई 0.5

प्र04 भारतीय प्रशासन की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैः–

भारतीय प्रशासन मुख्य दो बातों पर आधारित था एक बिटिश काल की मान्यताएं दूसरी स्वतन्त्रता के पश्चात अपनाई जाने वाली लोकतान्त्रिक तथा लोक कल्याणकारी शासन व्यवस्था 0.5

i) भारतीय प्रशासन विकास पर आधरित :-इसकी सबसे बडी विशेषता यह है कि यह विकास पर आधरित है तथा विकास इसका मुख्य उदेश्य रहा है 0.5

ii) परिवर्तनशील प्रशासन:- इसकी प्रवृति परिवर्तनशील रही है समय के साथ प्रशासन का स्वरूप भी बदलता रहता है।

iii) प्रशासन का लक्ष्य सामाजिक व आर्थिक विकास:- प्रशासन का लक्ष्य हमेशा समाज के हर वर्ग का विकास व उन्नति करना है तथा हर वर्ग की अर्थिक स्थिति मजबूत करना है।

iv) पद सोपान पर आधरित :- प्रशासन पद सोपान पर आधारित है हर व्यक्ति की जिम्मेदारी निश्चित कर किसी न किसी के अधीन व जबाव देह बनाया गया है। 1

प्र0 5 स्थानीय शासन के मुख्य तीन तत्व निम्नलिखित है

i) **स्थानीय क्षेत्र:-** स्थानीय शासन किसी विशेष स्थानीय क्षेत्र के लिए कार्य करता है । वह एक निशचित क्षेत्र को चिन्हित कर उसके लिए कार्य करता है। 1

ii) **स्थानीय निवासी :-** स्थानीय प्रशासन का मुख्य उदेश्य स्थानीय लोगो का कल्याण करना होता है। तथा स्थानीय लोगो को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्रदान करना है। 1

प्र 06 विकास प्रशासन की विशेषताएं

विकास प्रशासन की विशेषताएं निम्नलिखित है।

i) **परिवर्तनशील प्रकिया :-** विकास प्रशासन एक परिवर्तनशील प्रकिया है।समय समय पर विकास का स्वरूप बदलता रहता है।इसका उदेश्य सामजिक व अर्थिक परिवर्तन है 0.5

ii) **नागरिक सहभागिता :-** नागरिक सहभागिता की एक मुख्य विशेषता यह है कि विकास प्रकिया में नागरिक सक्रिय रूप से भाग लें। 0.5

iii) **नागरिक सेवा :-** विकास प्रशासन का मुख्य उदेश्य अपने लोगो को ज्यादा से ज्यादा सेवाएं व सुख सुंविधाएं प्रदान करना है।

iv) **वचनबद्वता:-** विकास प्रशासन के अर्न्तगत आने वाले सभी संगठनों से यह आशा की जाती है कि वे सामजिक व अर्थिक परिवर्तन के प्रति वचनबद्व हो। 0.5

v) **स्थानीय भागीदारीः—** स्थानीय शासन के द्वारा स्थानीय भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है, तथा विकास कार्यो में स्थानीय लोगो को ज्यादा से ज्यादा भागीदार बनाया गया है। 0.5

प्र07 बजट :— सरकार का आय और व्यय के ब्यौरा को कहा जाता है , इसमें पूरे वर्ष की वितीय गतिविधिंया शामिल होती है। 0.5

1 बजट निर्माण का कार्य कार्यपलिका का होना चाहिए भारत में बजट तैयार करना व संसद में पेश करना कार्यपलिका का कार्य है। 0.5

2 बजट का मुख्य सिंद्वात है की है बजट संतुलित होना चाहिए न ज्यादा घाटे का बजट हो न फायदे का आय व व्यय में संतुलन होना चाहिए। 0.5

3 बजट का अनुमान प्रतिवर्ष होना चाहिए। संसद को धन की स्वीकृति एक वर्ष की देनी चाहिए। 0.5

प्र08 नागरिक व प्रशासन कैसे एक दूसरे के पूरक है यह कथन सत्य है, क्योकि नागरिकों के उपर प्रशासन का तथा प्रशासन की गतिविधियों का नागरिको का गहरा प्रभाव होता है। 0.5

प्रशासन के बिना न तो नागरिको की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है और नागरिकों के सहयोग के बिना प्रशासन की नितिंया भी सफल नही हो सकती ये दोनो ही एक दूसरे के पूरक है। 0.5

प्र09 भ्रष्टाचार के कारण :- भ्रष्टाचार के मुख्य चार कारण निम्नलिखित है। 0.5

1 युद्धकालीन अभाव व निंयत्रण:- दूसरे विश्व युद्ध से पूर्व भारत में प्रशासनिक भ्रष्टाचार निम्न स्तर तक ही था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसका क्षेत्र विस्तृत हुआ। अधिकारियों मे भ्रष्टाचार का विस्तार हुआ। 0.5

2 योग्य अधिकारियों की कमी :- स्वतन्त्रता के पश्चात अधिकतर अंग्रेज अधिकारी भारत से चले गए इस कारण भारत में अधिकारियों की कमी हो गई तथा योग्य अधिकारी नही मिल पाए। 0.5

3 कम वेतन व कीमतों में वृद्वि :- भ्रष्टाचार का एक कारण बाजार में कीमतों की अत्याधिक वृद्वि था जो वेतन कर्मचारी को मिलता था वह जीवन निर्वाह योग्य नही था , इस कारण कर्मचारी भ्रष्टाचार में संलिप्त हुए। 0.5

प्र010 संघीय सरकार अधिक शक्तिशाली है, इसके निम्न कार्य है।

1 शक्तियों का विभाजनः— हर संघीय देश की भान्ति भारत में केन्द्र व राज्यो के मध्य शक्तियों का विभाजन किया जाता है। इन शक्तियों को तीन सूचियों में शामिल किया जाता है।

संघ सूचीः— इसमें राष्ट्रीय महत्व के मामले तथा एक से अधिक राज्यो के साथ सम्बध रखने वाले विषय है 1

विदेशी मामले, युद्व, शांति तथा संथिया नागरिकता ,रेलवे डाक तार मुद्रा आदि कुछ संघ सूची के महत्वपूर्ण विषय है। इसमे महत्वपूर्ण 97 विषय रखे गये है। शक्तियों का विभाजन केन्द्र के पक्ष में अधिक है। राज्य सूची के कुछ विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भी केन्द्रीय सरकार को है।

समवर्ती सूची के के विषय में भी केन्द्र द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है । किसी भी राज्य में शाति भंग होने पर केन्द्र शस्त्र सेना को शांति स्थापित करने के लिए भेज सकता है। 1

1. अन्तराष्ट्रीय संधियो व समझौतों को लागू करने के निर्देश संघ के द्वारा दिये जा सकते है।
2. कुछ विशेष बिलों के लिए राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य है।
3. राज्य विधान मडलों को कुछ बिल पेश करने से पहले स्वीकृति
4. राज्यो मे संविधानिक मशीनरी फेल होने पर।

इन सब बातो से पता चलता है कि संघीय सरकार अधिक शक्तिशाली है जो होनी भी चाहिए 1

प्र011 राज्यपाल एक सवैंधानिक मुखिया के तौर परः—

राज्य में राज्यपाल की स्थिति लगभग वही है जोकि संघीय सरकार मे राष्ट्रपति की है। संविधान के दृष्टिकोण मे सरकार की समस्त शक्तिया राज्यपाल मे निहित है ,तथा मंत्रीपरिषद का कार्य शासन मे सहायता तथा परामर्श देना है।राज्यपाल की जितनी भी शाक्तियां है उनका प्रयोग वह मंत्रीमडल की सहायता से करता है। हमारे संविधान में यह स्पष्ट नही किया गया है कि राज्यपाल को मंत्रीमडल का सुझाव स्वीकार करना है या नही 1

राज्यपाल एक सवैंधानिक मुखिया ही नही है बल्कि एक प्रभावशाली अधिकारी भी है। संवैधानिक प्रमुख होने का यह मतलब यह नही की वह बिल्कुल प्रभावहीन है।चाहे उसकी शक्तियों का प्रयोग मंत्रीपरिषद करती है । फिर भी राज्यपाल राज्य प्रशासन का महत्वपूर्ण अधिकारी है वह राष्ट्रपित का प्रतिनिधि तथा राज्य मे केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधि है। 1

1.जब राष्ट्रपति संकटकाल की घोषणा करता है तो राज्यपाल उसका प्रतिनिधि बन जाता है।
2. राज्यपाल मुख्यमंत्री से प्रशासन सम्बन्धी जानकारी प्राप्त कर सकता है।
3. राज्य विधान मडल द्वारा पास बिल को अस्वीकार करते समय पुर्नविचार को भेज सकता है।

राज्यपाल न तो नाममात्र का अध्यक्ष है न रबड स्टैप वह राज्य प्रशासन में एक शक्तिशाली अधिकारी है व राज्यप्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। 1

प्र0 12 बजट का महत्वः—

वितीय प्रशासन का वर्तमान समय मे अत्याधिक महत्व हो गया है इसके महत्व के निम्न कारण है।

1. आधुनिक राज्य कल्याणकारी है जिसके राज्य के कार्यों मे विशेष वृद्वि हुई है कार्यों मे वृद्वि होने के कारण लोक व्यय में भी वृद्वि हुई है। जिससे धन की आवश्यकता बढ गई है, अत वितीय प्रशासन का महत्व बढ गया है। 1

2. लोकतान्त्रीक राज्यों में बजट का महत्व बढ गया है। भारत मे प्रशासन के प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता है इस लिए वितीय प्रशासन को अपनी नितिया जनता के अनुकूल बनानी पडती है। 1

3. जनता की आशाएं सरकार से काफी हद तक बढ गई है हमारी सरकार से मांगो की कोई सीमा नही रह गई है। उन आवश्कताओं की पूर्ति के कारण बजट का महत्व वढ गया है। 1

प्र0 13 बजट को पास करने की विधिः—

भारतीय बजट के दो भाग होते हैं आय व व्यय आय संबधी भाग में संघ सरकार कि संपूर्ण आमदनी का ब्यौरा होता है। और खर्च संबधी भाग में संध सरकार द्वारा किये जाने वाले खर्च शामिल किये गए हैं। बजट को पास करने पांच अवस्थाओं में से गुजरना पडता है। 1

1. बजट कि पुनः स्थापना करना।
2. बजट पर सामान्य वाद विबाद।
3. मांगो पर मतदान। 1
4. विनियोग बिल पर विचार व पास करना।
5. वितिय बिल पर विचार व पास करना। 1

प्र0 14 प्रशासन में जनता के कम योगदान के निम्न कारण हैं:–

अच्छी प्रशासकिय नीति व योजनाए नागरिकों कि सहभागिता के अभाव में असफल हो जाती है। अच्छे व कुशल प्रशासन के लिए अधिक से अधिक नागरिक सहभागिता का होना अनिवार्य है। भारतीय प्रशासन में नागरिको के कम योगदान के कई कारण हैं। जिनका वर्णन इस प्रकार से है:– 1

1. जटिल नौकरशाही के कारण
2. जनता का प्रशासन के प्रति उदासीन रवैया
3. भारतीय अंधिकाश जनता गरीव है जो अपने जीवन निर्वाह के लिए सघर्षरत है इसलिए कम भागिदारी है। 1
4. भारत में राजनैतिक व प्रशासकिय नेताओ में चरित्र कि कमी पाई जाती है जिससे जनता भागीदार वनने में उत्साह नहीं रखती।
5. प्रभावशाली संचार का अभाव जिसके कारण सरकार की नितियां जनता तक नहीं पंहुँचती। 1

प्र0 15 भ्रष्टाचार को निम्न तरीको से दूर किया जा सकता है:–

1. कर्मचारीयों के वेतन में वृद्वि भ्रष्टाचार को समाप्त करने का सवसे अच्छाा व सरल उपाय कर्मचारीयों के वेतन में वृद्वि है। प्रचलित वाजार दर के हिसाब से कर्मचारीयों का वेतन वढाया जाना चाहिये। ताकि वह सरकार के वेतन से संतुष्ट रहें व भ्रष्टाचार का रास्ता न अपनायें। 1
2. शासन प्रणालीा में सुधार :– शासकीय व्यवस्था में सुधार करके भी भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सकता है। प्रशासन में अत्यधिक जटिलता को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। 1
3. प्रशिक्षण:– प्रशिक्षण कि उचित व्यवस्था करके उसमे इमानदारी कायम की जा सकती है। 1

Section IV 4 Marks

प्र0 16 भारत सरकार 1935 के मुख्य प्रभाव :–

भारत सरकार 1935 अधिनियम के निम्न प्रभाव है।

1. **अखिल भारतीय संघ:–** 1935 के अधिनियम के द्वारा एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने कि व्यवस्था कि गई। इस संघ का निर्माण ब्रिटिश प्रांतों चीफ कमीशनर प्रांतो व देसी रियासतों को मिलाकर होना था। 1
2. **शक्तियों का बंटवारा:–** 1935 के एक्ट द्वारा केन्द्र व राज्यों में शक्तियों का स्पष्ट विवरण करने का प्रयास किया गया। 1935 द्वारा समस्त विषयों को तीन सूचियों मे बाटा गया। संघ सूची , राज्य सूची, समवर्ती सूची। 1
3. **मताधिकारका विस्तार :–** साइमन कमीशन कि रिपोर्ट के अनुसार मताधिकार में वृद्वि कि गई। स्त्रियों को मतदाता वनाने के लिए सुविधाए प्रदान कि गई। 1
4. **संघीय न्यायालय:–** 1935 के अधिनियम के अन्तर्गत एक संघीय न्यायलय कि व्यवस्था का प्रावधान किया गया। जिसमें मुख्या न्यायाधीश तथा अन्य न्यायधीशों कि व्यवस्था कि गई। 1

प्र0 17 भारत में वर्तमान भर्ती प्रणाली में मुख्य दोष इस प्रकार से है:–

1. **विज्ञापन मे दोष:–** भारत में भर्ती प्रणाली का एक दोष विज्ञापन का तरीका है। भर्ती के लिए जो विज्ञापन निकाले जाते है वह आम लोगो तक नहीं पंहुँच पातें। विज्ञापन की भाषा कठिन व तकनीकि होती है जो आम अभ्ययार्थियों कि समझ नहीं आती। 1
2. **प्रणाली आधुनिक सिद्वांतों पर आधारित नहीं :–** वर्तमान प्रणाली आज के सिद्वांतों के साथ मेल नहीं खाती है। जो भर्ती करने के लिए प्रणाली अपनाई जाती है वह वहुत पुरानी है। 1
3. **प्रश्न पत्रों का निम्न स्तर:–** भर्ती करने के लिए जो प्रश्न पत्र डाले जाते हैं उनका स्तर वडा निम्न होता है। अलग अलग भाषाओ में प्रश्न पत्रों के उतर से व्यवस्था गंभीर है। 1
4. सभी सेवाओं में भर्ती लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं होती, कुछ भर्तिया बोर्डो व निगमों द्वारा होती है जो गलत है। 1

प्र0 18 मुख्य सचिव की नियुक्ति व कार्य :–

मुख्य सचिव कि नियुक्ति:– राज्य के मुख्य सचिव के पद पर सवसे वरिष्ठतम अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी कि नियुक्ति कि जाती है। 1967 मे गठित प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी इस बात का समर्थन किया कि राज्य के मुख्य सचिव के पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवाओ का सवसे वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए । लेकिन व्यवहार में मुख्य सचिव कि नियुक्ति करते समय वरिष्ठता व योग्यता को छोडकर मुख्यमंत्री कि इच्छा को महत्व दिया जाता है। मुख्यमंत्री, मुख्यसचिव को वदल भी सकता है। 1

मुख्य सचिव का कार्य:– राज्य कि सम्पूर्ण प्रशासनिक गतिविधियों के लिए मुख्य सचिव उतरदायी है। इसके कार्य हैं :–

1. **मत्रीमण्डल के सचिव के रूप मेंः–** मुख्य सचिव राज्य मंत्रीमण्डल का भी सचिव होता है। इस कारण उसे सचिवालय में मंत्रीमण्डल कि बैठको का आयोजन व समय निश्चित किया जाता है, तथा मंत्रीमण्डल में लिये गये निर्णयों कि जानकारी सभी विभागिय सचिवो को देता है । 1
2. **विभागाघ्यक्ष के रूप मेंः–** मुख्य सचिव कई बार विभागो का सचिव भी होता है। कुछ राज्यों में कई विभाग इनकक पास है। 1
3. **स्मन्वयक के रूप मेंः–** मुख्य सचिव विभिन्न विभागों मे तालमेल स्थापित करने का कार्य करता है। यदि किसी विभाग मे कोई समस्या आती है तो वह उस समय मुख्या सचिव की और देखत है। 1

प्र0 19 स्थानीय शासन के मुख्य दोषः–

स्थानीय शासन मे कई दोष पाए जाते हैं, जो इस प्रकार से हैंः–

1. **धन की कमीः–** स्थानीय संस्थाओं के कार्य छोटे होते हैं लेकिन वहुत महत्वपूर्ण होते है। इन कार्यो को पूरा करने के लिए काफी धन कि आवश्कता होती है। धन के अभाव में स्थानीय संस्थाए:-इन कार्यो को करने में असफल रहती है। इन संस्थाओं की आय के साधन कम होते है इन्हे सरकार के उपर निर्भर रहना पडता है। 1
2. 2 अयोग्य व्यक्तियों का चुना जाना:- स्थानीय शासन की सस्थाओं में व्यक्तियों का चुनाव इसका एक दोष है इन संस्थाओं में जो व्यक्ति चुन कर आते है वे अधिकतर अशिक्षित होते है। जो सरकार ही नितियों व कार्यकर्मों को न समझ पाते है न जनता तक पहुचा पाते है। 1
3. 3 अयोग्य कर्मचारी:-स्थानीय संस्थाओं के कर्मचारी प्राय अयोग्य व भष्ट्र होते है। उन्हे अपने कार्यो की जानकारी नही होती। इस कारण ये जन कार्य नही कर पाते।
4. 4जन साधारण की अपेक्षा आम तौर पर स्थानीय संस्थाओं द्वारा जन साधारण की मागों की अपेक्षा करती है। इसलिए लोग इन संस्थाओं के प्रति उदासीन रहतें है। 1
5. 5 धनी व्यक्तियों का प्रभुत्व स्थानीय संस्थाओंमें धनी व्यक्तियों का अधिक पर प्रभुत्व होता है। ये धन बल के आधार पर चुनकर इन संस्थाओं पर अपना कब्जा कर लेते है। जिस कारण वह जन साधारण की अपेक्षा करते है। 1

प्र020 विकास प्रशासन के आवश्यक तत्वः– विकास प्रशासन के लिए अनिवार्य तत्व निम्नलिखित है।

1 कुशल व प्रशिक्षित असैनिक सेवाएं कुशल व प्रशिक्षित कर्मचारी विकास प्रशासन की रीढ माने जाते है, उनके बिना कोई कोई विकास सफल नही हो सकती। 1

2 स्थानीय समस्याओं का ज्ञान विकास प्रशासन का एक अनिवार्य तत्व स्थानीय समस्याओं का ज्ञान होना है जब तक आपको स्थानीय समस्याओं का सही सही ज्ञान नही होगा तो सफलतापूर्वक उनका निदान नही हो सकता। 1

3 लोगो का सक्रिय रूप से भाग लेना विकास प्रशासन की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि लोग सक्रियरूप में राष्ट्र निर्माण के कार्यों में भाग ले सकें। 1

4 **जन नेताओं व अधिकारियों में सहयोगः–** जनता नेताओं व अधिकारियों कोउ सहयोगात्मक रूप से कार्य करना चाहिए। एक दूसरे की समस्या का समास्याओं का समाधान हो। 1

प्र021 विकास प्रशासन का अर्थ विकास प्रशासन लोक प्रशासन का वह पहलू है। जो सरकारी प्रभाव के माध्यम से प्रगतिशील राजनितिक समाजिक तथा आर्थिक लक्ष्यों मे परिवर्तन पर जोर देता है।

विकास प्रशासन का क्षेत्रः– विकास प्रशासन के क्षेत्र मे वे सभी कार्य सम्मिलित है जो सरकारी इच्छाओ उदेश्य नितियों का निर्माण करते है और उन्हे लागू करते है, विकास प्रशासन को निम्नलिखित क्षेत्रो मे बाटा गया है। 1

1 नियोजित कार्य :- विकास प्रशासन का सर्वप्रथम विषय क्षेत्र नियोजित कार्य है। अर्थव्यवस्था के विकास के प्रत्येक क्षेत्र में नियोजित कार्य की समस्या रहती है। बिना नियोजित कार्य के विकास प्रशासन सफल नही हो सकता।

2 शहरी प्रशासनः- शहरी प्रशासन की उत्पति 19वी सदी के अंत में हुई है। इस समय शहरी प्रशासन को अपने समाधान हेतू और समाज सेवा के लिए उतम प्रशासन के लिए पर्याक्त उतम साधन उपलब्ध नही थे। इसलिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। 1

3 क्षेत्रीय विकास :- विकास प्रशासन के लिए क्षेत्र विकास बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में प्रशासन को बहुत समस्याओं का सामना करना पडता है। क्योंकि इस क्षेत्र मे प्यापत ज्ञान नही है। 1

प्रकृति :–

1 **परिवर्तनशील प्रकिया :-** विकास प्रशासन एक परिवर्तनशील प्रकिया है यह समय समय पर बदलता रहता है । इसका उदेश्य सामजिक व अर्थिक परिवर्तन है।

2 नागरिक सहभागिता :— विकास प्रशासन में नागरिक सहभागिता को बढाया जाता है। कोई भी विकास योजना नागरिकों के सहयोग के बिना सफल नही हो सकती। 1

3 नागरिक सेवा उन्नमुखी :- विकास प्रशासन की एक प्रमुख विशेषता यह है कि नागरिकों को सेवा प्रदान करने वाला होता है।

4 व्यवहारिक परिवर्तन :- विकास प्रशासन को समय समय पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना पडता है व बदलाव करना पडता है। 1

प्र022 भ्रष्टाचार का अर्थ किसी कर्मचारी या अधिकारी के द्वारा अपनी शक्ति जो उसे किसी पद के कारण मिली है। उसका दुरूप्रयोग करना भ्रष्टाचार कहलाता है।उदारण के लिए भर्ती में अयोग्य कर्मचारियों का चुनाव करना। भ्रष्टाचार दूर करने के सुझाव भारतीय प्रशासन में भ्रष्टाचार को दूर करने के निम्न सुझाव है। ...0.5

1 कर्मचारयिों के वेतन में वृद्वि:- यदि प्रशासन में भष्ट्राचार को समाप्त करना है तो उसके लिए कर्मचारियों के वेतन में समय समय पर वृद्वि की जानी चाहिए ताकि वे अपने परिवार का पालन पोषण सही ढग से किया जा सके। ...0.5

2 अधिकतम व न्यूनतम वेतन में अन्तर कम किया जाएं :- कर्मचारियों को मिलने वाला वेतन एक संतुलित वेतन होना चाहिए। यह नही हो कि समान कार्य करने वाले कर्मचारी के वेतन में अत्याधिक विसंगति हो। ...0.5

3 शासन प्रणाली में सुधार :- भष्ट्राचार को हटाने के लिए शासन प्रणाली की जटिलता को दूर करना अति आवश्यक है। जटिलता भष्ट्राचार को बढावा देती है। कार्य का तरीका सरल व अनाआवश्यक औपचारिकताएं खत्म कर दी जांए। ...0.5

4भर्ती का आधार योग्यता :- सरकारी कर्मचारियों की भर्ती का आधार योग्यता होना चाहिए। कर्मचारियों की भर्ती के समय योग्य कर्मचारियों का चुनाव हो।

5 **प्रशिक्षण :-** कर्मचारियों को समय समय पर प्रशिक्षित किया जाना चाहिए । तथा नए नए परिवर्तनों से अवगत करवाया जाना चाहिए। 1

6 **शिक्षा का विकास :-** ज्यादा से ज्यादा शिक्षा का विकास किया जाएं ताकि व्यक्ति को भले बुरे का ज्ञान हो सके व अधिकार व कर्तव्यों की जानकारी मिल सके। 1

7 **एश्वर्यमयी जीवन पर प्रतिबन्ध:-** भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आवश्यक है कि कर्मचारियों को क्लबों में जाने व एश्वर्यमयी जीवन व्यतीत करने पर रोक लगे। तथा इसमें संलिप्त कर्मचारियों के विरूद्व सख्त कार्यवाही हो। 1